न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 254/2021

ओमप्रकाश उम्र 61 साल पुत्र द्वारका प्रसाद, जाति कुमावत, नि0 वार्ड नं0 12, मुकुन्दगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

–– आवेदक

बनाम

1. सहीराम उम्र 52 साल पुत्र मुकुन्दाराम
2. सुरेन्द्र उम्र 48 साल पुत्र मुकुन्दाराम
3. धर्मेन्द्र उम्र 44 साल पुत्र मुकुन्दाराम
4. विमला देवी पत्नी मुकुन्दाराम

   समस्त जातियान जाट, निवासीगण ग्राम घोडीवारा खुर्द, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।
5. भूमिधारक जरिये तहसीलदार, नवलगढ जिला झुंझुनू।
6. उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

–– अनावेदक

उपस्थितः–

1. श्री राकेश सारस्वत एवं मनोज कुमार वर्मा, अभिभाषक – आवेदक की ओर से।
4. श्री किशोर कुमार, श्री सुनिल कुमार अभिभाषक – अनावेदक संख्या 1, लगायत 4 की ओर से।
5. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक – अनावेदक संख्या 5 व 6 की ओर से।

— — —

आवेदन पत्र अ0धा0 53, 54 एल0आर0एक्ट बाबत स्थानान्तरण करवाने मुकदमा उनवानी ओमप्रकाश/सहीराम आदि दावा बाबत अ0धा0 188 राज0 काश्त0 अधि0, मु0नं0 45/2020 न्यायालय एस0डी0ओ0, नवलगढ, एवं मुकदमा उनवानी ओमप्रकाश/सहीराम आदि प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा, मु0नं0 21/2020 न्यायालय एस0डी0ओ0 नवलगढ आगामी तारीख पेशी 21.12.21

— — —

आदेश

दिनांक 04.04.2022

उक्त विषयक प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है कि आवेदक ने आवेदन पत्र में वर्णित अनावेदकगण के [illegible] एक दावा एस0डी0ओ0 नवलगढ की अदालत में एक दावा मु0नं0 45/202[illegible] साथ ही आवेदक ने एक अस्थाई निषेधाज्ञा (टी0आई0)का प्रार्थना पत्र मु0नं0 21/[illegible] भी प्रस्तुत किया [illegible] भी आगामी तारीख पेशी 21/12/21 नियत है [illegible] की कृषि आराजी[illegible] भूमि में अनावेदकगण द्वारा रास्ता कायम करवाने को आमादा हो नाजायज आवागमन एवं दखल अंदाजी करने पर आवेदक को वर्णित दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना जरूरी हुआ। प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मु0नं0 21/2020 में एस0डी0ओ0 महोदय ने फर्द मौका रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.07 16:05:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुंझुनूं

एवं सिविल कोर्ट में दाखिल मौका कमिश्नर रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेजो के आधार पर मौके पर आवेदक की आराजीयत में रास्ता नही होने के आधार पर अनावेदकगण द्वारा नाजायज दखलअंदाजी मानते हुए पाबन्द कर आवेदक के हक में अंतरिम आदेश दिनांक 20.09.2021 पारित किया गया था तथा वर्तमान में टी0आई0 पत्रावली के अंतिम निस्तारण हेतु नियत है। उक्त अंतरिम आदेश के बाद अनावेदकगण, आवेदक से अदावत रखने लगे और टीआई बहस से पूर्व मौके की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए दिनांक 07.11.2021 को रात्रि में एकराय होकर प्रार्थी की संपति से निर्माण सामग्री को उठाकर ले गये। रिपोर्ट पर पुलिस थाना मुकुनदगढ में अनावेदकगण के खिलाफ में 265/21 प्राथमिकी सं0 दर्ज की गयी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अनावेदकगण ऐलानियां आवेदक व इसके परिवार को धमकाने लगे कि अब अनावेदकगण ने एस0डी0ओ0 साहब से काफी अच्छा सम्पर्क कर लिया है और उनके कार्यालय में बेरोक–टोक आते जाते है तथा लगातार इनके सम्पर्क में रहते है और इसलिए बिना कायदा–कानून प्रकरण को अपने हक में करवा लेगा और इस आधार पर प्राथमिकी सं0 265/21 खारीज करवा लेंगें और आवेदक देखता ही रह जायेगा। जिस ओर उस वक्त आवेदक ने गौर नही किया। दिनांक 11.11.2021 कि एस0डी0ओ0 साहब ने टी0आई0 पत्रावली नियत होने पर टी0आई0 पत्रावली के अंतिम निस्तारण से पूर्व तहसीलदार नवलगढ को मौके व रिकॉर्ड की रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी कर दिनांक 12.11.2021 को नियत कर दी। इसके बाद आवेदक व इसके परिजन दिनांक 11.11.2021 को वादग्रस्त जगह पर सायंकाल अंधेरा होने तक मौजूद रहे ताकि मौका/रिकार्ड की रिपोर्ट उनकी उपस्थिति में तैयार की जा सके किंतु एस0डी0ओ0 साहब के आदेश की पालना में तहसीलदार नवलगढ या उनका कोई अधीनस्थ मौके पर रिपोर्ट तैयार करने आया ही नहीं। जब इस दौरान अनावेदकगण बेफ्रिक रहे और आवेदक व इसके परिजन की बेचेनी पर मुस्कुराते व कटाक्ष करते रहे। अगले रोज दिनांक 12.11.2021 को आवेदक व इसके वकील राजस्व कैम्प में फाईल होने से कैम्प में एस0डी0ओ0 साहब के समक्ष उपस्थित हुए और मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु कर्मचारियो के नही आने बाबत सूचित किया तो एस0डी0ओ0 साहब ने जवाब दिया कि उनके पास पहले ही पटवारी हल्का मुकुन्दगढ द्वारा तैयार दिनांक 11.11.2021 की मौका व रिकॉर्ड रिपोर्ट पत्रावली में आ चुकी है। जिस पर आवेदक व इसके वकील को आश्चर्य हुआ। जब आवेदक के वकील ने इस रिपोर्ट को देखने चाहा तो पहले तो उक्त रिपोर्ट दिखायी नही गयी फिर जद्दोजहद के बाद जब रिपोर्ट आवेदक वकील को देखने को मिली तो आश्चर्य हुआ कि यह रिपोर्ट दिनांक 11.11.2021 को पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके पर जाकर एवं सीधे–सीधे अनावेदकगण के पक्ष में फायदा देते हुए गलत बनायी गयी है जिस पर किसी पक्षकार की उपस्थिति के हस्ताक्षर नही [illegible] आवेदक व परिजन के दिनांक 11.11.2021 को सारे समय मौके पर मौजूद रहने तथा [illegible]वारी द्वारा बिना मौके पर जाये गलत रिपोर्ट तैयार करने एवं रिपोर्ट पर किसी पक्षकार के हस्ता[illegible] नही होने के आधार पर रिपोर्ट मान्य नही माने जाने की शिकायत की गयी [illegible] से इंकार कर दिया तथा पूर्व में सिविल कोर्ट व राजस्व कोर्ट में प्रकट दस्तावेजो को [illegible] कर वर्तमान पटवारी हल्का की मौका व रिकार्ड बाबत बनायी फर्जी रिपोर्ट दिनांक 11.11.2021 को प्रकरण निस्तारण का आधार बना लिया। जिस पर वकील आवेदक ने वर्णित त्रुटियो के संबंध में न्यायालय में अपनी आपत्ति पेश करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.07 16:05:18 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर झुन्झुनू

निवेदन किया तो इस पर एस0डी0ओ0 साहब ने सिरे से इंकार कर दिया और इसी रिपोर्ट को सही मानते हुए इसी के आधार पर आज की तारीख मे ही टी0आई0 पत्रावली निस्तारित करने का अपना निश्चय सुना दिया। एस0डी0ओ0 साहब ने उक्त हैरानी भरे रवैये से आवेदक को विश्वास हो गया कि एस0डी0ओ0 साहब अनावेदकगण के प्रभाव मे आकर प्रकरण का गलत रूप से निस्तारण करना चाहते है। आवेदक के काफी जदोजहद एवं सख्त लिखित आपत्ति के बाद एस0डी0ओ0 साहब ने आगामी तारीख पेशी 21.12.2021 नियत की और उक्त तारीख से पूर्व आवेदक को अन्य अनुतोष प्राप्त कर लेने अन्यथा इसी रिपोर्ट के आधार पर पत्रावली फैसल करने का अपना अंतिम निश्चय सुना दिया। जिस पर आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। एस0डी0ओ0 महोदय के उक्त रवैय से आवेदक को अब विश्वास हो गया है कि अदालत एस0डी0ओ0 महोदय, नवलगढ से कोई न्याय नही मिल सकेगा और वे अनावेदकगण के प्रभाव में आकर येन–केन प्रकरेण पत्रावली को विधि के प्रावधानो के विपरीत निस्तारित करना चाहते है। इसलिए आवेदक के उक्त प्रकरण को एस0डी0ओ0 महोदय, नवलगढ की अदालत से दीगर अदालत में ट्रांसफर करना आवश्यक हो गया है। अनावेदकगण दावे के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर एस0डी0ओ0 नवलगढ से विधि के प्रावधानो के विपरीत अपने हक में करवाने को आमादा है और पटवारी हल्का की फर्जी रिपोर्ट जो बिना मौके पर जाये एवं पक्षकारो की उपस्थिति हस्ताक्षर लिये तैयार की गयी है, उस रिपोर्ट को वास्तविक माना है और मात्र इस रिपोर्ट के आधार पर एस0डी0ओ0 नवलगढ ने पत्रावली का निस्तारण करने का खुले तौर पर ऐलान कर दिया। इसलिए अब आवेदक को किसी प्रकार से उक्त अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद नही है। इसलिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में वर्णित विचाराधीन दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र एस0डी0ओ0 नवलगढ से किसी दुसरे उपखण्ड अधिकारी की अदालत में सुनवाई व निर्णय हेतु भिजवाया जाना उचित होगा। अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विचारण न्यायालय की एस0डी0ओ0 नवलगढ अदालत में वर्णित विचाराधीन दावा उनवानी ओमप्रकाश / सहीराम आदि दावा बाबत अं0धा0 188 राज0 काश्त0 अधि0, मु0नं0 45 / 2020 न्यायालय एस0डी0ओ0 नवलगढ एवं मुकदमा उनवानी ओमप्रकाश / सहीराम आदि प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 21 / 2020 न्यायालय एस0डी0ओ0 नवलगढ आगामी तारीख पेशी 21.12.2021 दोनो प्रकरण को एस0डी0ओ0 नवलगढ की अदालत से दूसरे उपखण्ड अधिकारी की अदालत मे सुनवाई व निर्णय हेतु स्थानान्तरित किये जाने आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर [illegible] से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये [illegible] किया गया। उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ ने पत्रांक 70 दिनांक 21.12.20[illegible] कर अवगत कराया कि प्रा0 पत्र की मद सं0 1 मे वर्णित वाद [illegible] प्रा0 पत्र इस [illegible] मे दर्ज व विचाराधीन होना सही है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रापत्र मु0न0 21 [illegible] .2021 को पक्षकारों को सुना जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी के आदेश दिये गये है [illegible] वर्तमान मे पत्रावली बहस मजीद मे विचाराधीन है। बिन्दू सं0 4 मे वर्णित तथ्य आवेदक द्वारा लिखे गये है जिसके संबंध मे अधोहस्ताक्षरकर्ता को जानकारी नही है। बिन्दू सं0 5 आवेदक द्वारा मनगढंत व झूठा पेश किया है। अधोहस्ताक्षरकर्ता का आवेदक एवं अनावेदकगण से कोई व्यक्तिगत सम्पर्क नही है। बिन्दू सं0 6 मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.07 16:05:18 IST
Reason: SelfAttested

अंकित तथ्य कि दिनांक 11.11.2021 को आवेदक ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र पर बाद सुनवाई तहसीलदार नवलगढ से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गई थी तथा प्रकरण मे आगामी सुनवाई हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत घोडीवारा खुर्द मे पक्षकारों की सहमति से नियत की गई थी। आवेदक द्वारा वर्णित शेष तथ्य मनगढन्त है। बिन्दू सं0 7 मे वर्णित तथ्य पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.11.2021 को तैयार रिपोर्ट दौराने कैम्प दिनांक 12.11.2021 को पत्रावली पर पेश की गई थी जो सही है शेष तथ्य मनगढन्त है। बिन्दू सं0 8 मे आवेदक द्वारा वर्णित तथ्य मनगढन्त व झूठे दर्ज किये है। आवेदक द्वारा दिनांक 12.11.2021 को दौराने कैम्प एक प्रा0 पत्र इस कदर पेश किया कि वह इस न्यायालय से कोई कार्यवाही नही चाहता है उसे 30 दिवस का समय दिया जावे। जिस पर न्यायालय द्वारा आगामी पेशी 21.12.2021 नियत की गई। बिन्दू सं0 10 मे आवेदक द्वारा अंकित तथ्य झूठे दर्ज किये है। आवेदक द्वारा किसी आशंका से ग्रसित होकर पत्रावली अन्यत्र न्यायालय मे स्थानान्तरित किये जाने का प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया है। बिन्दू सं0 11 मे आवेदक द्वारा वद एवं प्रा0 पत्र किसी अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करने का निवेदन किया है जिस पर अधोहस्ताक्षरकता को कोई आपत्ति नही है। आवेदक को अब इस न्यायालय से न्याय का विश्वास नही रहा है ऐसी सूरत मे आवेदक का वाद एवं प्रा0पत्र अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है। बिन्दू सं0 12 व 13 कानूनी है। अतः बिन्दूवार रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामे प्रेषित कर निवेदन है कि पक्षकारों के अविश्वास के कारण भविष्य मे होने वाले न्याय निर्णय पर किसी प्रकार संदेह नही होना चाहिए। पक्षकार को किसी आशंका के चलते इस न्यायालय के न्याय पर अविश्वास उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति मे उसका किसी अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरण किया जाना ही बेहतर है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ मे विचाराधीन दावा उनवानी ओमप्रकाश/सहीराम आदि बाबत अ0धा0 188 राज0 काश्त0 अधि0, मु0नं0 45/2020 एवं प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा उनवानी ओमप्रकाश/सहीराम आदि मु0नं0 21/2020 मे पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नही है। अनावेदक शीशराम ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुंझुनूं के यहां अपील पेश की जिसमे अदालत मातहत की पत्रावली संख्या 48/2021 को तलब करने के लिए मिसल तलबी की चिट्ठी दिनांक 24.08.2021 को अनावेदक नं0 1 को उपलब्ध करवा दी थी उसके बावजूद भी अनावेदक नं0 1 प्रार्थना पत्र अस्थाई की मिसल को अपीलीय न्यायालय मे नही भेज रहा है। अतः अन्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर एस0डी0ओ0 नवलगढ अदालत में वर्णित विचाराधीन दावा उनवानी ओमप्रकाश/सहीराम आदि दावा बाबत अं0धा0 188 राज0 काश्त0 अधि0, मु0नं0 45/2020 न्यायालय एस0डी0ओ0 नवलगढ एवं मुकदमा उनवानी ओमप्रकाश/सहीराम आदि प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 21/2020 न्यायालय एस[illegible] नवलगढ आगामी तारीख पेशी 21.12.2021 दोनो प्रकरण को एस0डी0ओ0 [illegible] उपखण्ड अधिकारी की अदालत मे सुनवाई व निर्णय हेतु स्थानान्तरित किये जाने आदेश [illegible] करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.07 16:05:18 IST
Reason: SelfAttested

वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने वकील [illegible]दक के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा वर्णित प्रकरणों मे नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। अनावेदक सं0 1 लगायत 4 पर लगाये गये आरोप मिथ्या व निराधार है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। फिर भी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय मे सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी नवलगढ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित करने में कोई आपति नही होना बताया है। पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुवा भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो। इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मे विचाराधीन दावा उनवानी ओमप्रकाश/सहीराम आदि दावा बाबत अं0धा0 188 राज0 काश्त0 अधि0, मु0नं0 45/2020 एवं मुकदमा उनवानी ओमप्रकाश/सहीराम आदि प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 21/2020 उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकदमा संख्या 45/2020 उनवानी ओमप्रकाश बनाम सहीराम किस्म मुकदमा दावा अ0धा0 188 राज0 काश्त0 अधिनियम एवं मुकदमा संख्या 21/2020 उनवानी ओमप्रकाश बनाम सहीराम किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। पक्षकार सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के न्यायालय में दिनांक 02.05.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.07 16:05:18 IST
Reason: SelfAttested